

Panaji, 4th February, 2015 (Magha 15, 1936)

SERIES I No. 44

OFFICIAL GAZETTE

GOVERNMENT OF GOA

PUBLISHED BY AUTHORITY

EXTRAORDINARY

No. 3

GOVERNMENT OF GOA

Department of Elections

Office of the Chief Electoral Officer

Order

5-25-2015/ELEC/5377

The following Order No. 3/4/ID/2015/SDR-Vol.I dated 28th January, 2015 issued by the Election Commission of India, New Delhi, is hereby published for general information.

Narayan S. Navti, Joint Chief Electoral Officer.

Panaji, 4th February, 2015.

ELECTION COMMISSION OF INDIA

Nirvachan Sadan,
Ashoka Road,
New Delhi-110001.
Dated: 28-1-2015.

Order

3/4/ID/2015/SDR-Vol.I

1. Whereas, section 61 of the Representation of the People Act, 1951 provides that with a view to preventing impersonation of electors, so as to make the right of genuine electors to vote under section 62 of that Act

more effective, provisions may be made by rules under that Act for use of Electors Photo Identity Card for electors as the means of establishing their identity at the time of polling; and

2. Whereas, Rule 28 of the Registration of Electors Rules, 1960, empowers the Election Commission to direct, with a view to preventing impersonation of electors and facilitating their identification at the time of poll, the issue of Electors Photo Identity Card to electors bearing their photographs at State cost; and

3. Whereas, Rules 49H (3) and 49K (2) (b) of the Conduct of Elections Rules, 1961, stipulate that where the electors of a constituency have been supplied with Electors Photo Identity Card under the said provisions of Rule 28 of the Registration of Electors Rules, 1960, the electors shall produce their Electors Photo Identity Card at the polling station and failure or refusal on their part to produce those Electors Photo Identity Card may result in the denial of permission to vote; and

4. Whereas, a combined and harmonious reading of the aforesaid provisions of the said Act and the Rules, makes it clear that although the right to vote arises by the existence of the name in the electoral roll, it is also dependent upon the use of the Electors Photo Identity

Card, where provided by the Election Commission at State cost, as the means of establishing their identity at the time of polling and that both are to be used together; and

5. Whereas, the Election Commission made an Order on the 28th August, 1993, directing the issue of Electors Photo Identity Card (EPIC) to all electors, according to a time bound programme; and

6. Whereas, Electors Photo Identity Card have been issued to substantially high percentage of electors in the States of West Bengal, Arunachal Pradesh, Goa, Tamil Nadu, Maharashtra and Andhra Pradesh;

7. Whereas, in addition the Commission has directed that '**Authenticated Photo Voters Slip**' shall be distributed to the electors before the date of poll for the current bye-elections;

8. Now, therefore, after taking into account all relevant factors and the legal and factual position, the Election Commission hereby directs that for **bye elections to the House of the People of 14-Bangaon(SC) Parliamentary Constituency of West Bengal and States Legislative Assemblies of 27-Liromoba(ST) Assembly Constituency of Arunachal Pradesh, 11-Panaji Assembly Constituency of Goa, 139-Srirangam Assembly Constituency of Tamil Nadu, 88-Krishnaganj(SC) Assembly Constituency of West Bengal, 91-Mukhed Assembly Constituency of Maharashtra and 167-Triupati Assembly Constituency of Andhra Pradesh**, which have been notified on 19-01-2015, all electors who have been issued EPIC shall produce the EPIC for their identification at the polling station before casting their votes. **Those electors who are not able to produce the EPIC shall produce one of the following alternative photo identity documents for establishing their identity:—**

- (i) Passport;
- (ii) Driving License;
- (iii) Service Identity Cards with photograph issued to employees by Central/State Government PSUs/Public Limited Companies;

- (iv) Passbooks with photograph issued by Bank/Post Office;
- (v) PAN Card;
- (vi) Aadhar Card;
- (vii) Smart Card issued by RGI under NPR;
- (viii) MNREGA Job Card;
- (ix) Health Insurance Smart Card issued under the scheme of Ministry of Labour;
- (x) Pension document with photograph;
- (xi) Authenticated Photo Voter Slip issued by the election machinery; and
- (xii) Official identity cards issued to MPs/MLAs/MLCs.

9. In the case of EPIC, clerical errors, spelling mistakes, etc. should be ignored provided the identity of the elector can be established by the EPIC. If an elector produces an Electors Photo Identity Card, which has been issued by the Electoral Registration Officer of another Assembly Constituency, such EPICs shall also be accepted for identification provided the name of that elector finds place in the electoral roll pertaining to the polling station where the elector has turned up for voting. If it is not possible to establish the identity of the elector on account of mismatch of photograph, etc. the elector shall have to produce one of the alternative photo documents mentioned in para 8 above.

10. Notwithstanding anything in para 8 above, overseas electors who are registered in the electoral rolls under section 20A of the Representation of the People Act, 1950, based on the particulars in their Passport, shall be identified on the basis of their original passport only (and no other identity document) in the polling station.

By Order,

ANUJ JAIPURIAR,
Secretary

भारत निर्वाचन आयोग

निर्वाचन सदन,
अशोक रोड,
नई दिल्ली.
दि. २८.१.२०१५.

आदेश

सं. ३/४/आई.डी./२०१५/एस.डी.आर.खण्ड १

1. यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 61 में यह उपबंधित है कि निर्वाचकों के प्रतिरूपण का निवारण करने की दृष्टि से, ताकि उक्त अधिनियम की धारा 62 के अधीन वास्तविक निर्वाचको का उनके मत देने के अधिकार को और अधिक प्रभावी बनाया जा सके, उक्त अधिनियम के अधीन नियमों द्वारा मतदान के समय निर्वाचकों की पहचान सुनिश्चित करने के उद्देश्य से निर्वाचकों के लिए निर्वाचक फोटो पहचान पत्र के प्रयोग हेतु नियमों के द्वारा उपबंधों को बनाया जा सकता है ; तथा
2. यतः, निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण नियम, 1960 का नियम 28 निर्वाचन आयोग को, इस दृष्टि से कि निर्वाचकों के प्रतिरूपण का निवारण हो सके तथा मतदान के समय उनकी पहचान को सरल बनाया जा सके । निर्वाचकों को राज्य की लागत पर फोटोयुक्त निर्वाचक फोटो-पहचान पत्र जारी करने के लिए निर्देश देने की शक्ति प्रदान करता है ; तथा
3. यतः, निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 49 ज (3) और 49 ट (2) (ख) में यह अनुबधित है कि जहाँ किसी निर्वाचन क्षेत्र के निर्वाचकों को निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण नियम, 1960 के नियम 28 के उक्त उपबंधों के अधीन निर्वाचक फोटो पहचान-पत्र दिये जाते हैं, निर्वाचकों को मतदान केन्द्र में अपना निर्वाचक फोटो पहचान-पत्र दिखाना होगा तथा उनके द्वारा निर्वाचक फोटो पहचान पत्रों को नहीं दिखाए जाने व असमर्थ होने पर उन्हें मत डालने की अनुमति देने से इन्कार किया जा सकता है ; तथा
4. यतः, उक्त अधिनियम और नियमों के उपर्युक्त उपबंधों को मिलाकर एवं सामंजस्यपूर्ण ढंग से उनके अध्ययन से यह स्पष्ट होता है कि यद्यपि मत देने का अधिकार निर्वाचक नामावली में नाम के होने से ही होता है, यह निर्वाचन आयोग द्वारा राज्य की लागत पर, मतदान के समय उनकी पहचान सुनिश्चित करने के उद्देश्य से प्रदान करवाए गए निर्वाचन फोटो पहचान पत्र के प्रयोग पर भी निर्भर करता है, तथा दोनों को एक साथ प्रयोग करना होता है,
5. यतः, निर्वाचन आयोग ने एक समयबद्ध कार्यक्रम के अनुसार सभी निर्वाचको को निर्वाचक फोटो पहचान-पत्र(ई0पी0आई0सी0) जारी करने का निदेश देते हुए 28 अगस्त, 1993 को एक आदेश जारी किया है ; तथा

6. यतः पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश, गोवा, तमिलनाडू, महाराष्ट्र और आन्ध्र प्रदेश राज्यों के निर्वाचकों को काफी हद तक उच्च प्रतिशत में निर्वाचक फोटो पहचान पत्र जारी किए जा चुके हैं, तथा

7. यतः इसके अलावा, आयोग ने यह आदेश दिया है कि वर्तमान उप-निर्वाचनों की मतदान तिथि से पूर्व मतदाताओं को 'प्रमाणिक फोटो मतदाता पर्ची' बांटी जाएगी :

8. अतः, अब, सभी संबद्ध घटकों तथा विधिक एवं तथ्यात्मक स्थितियों को ध्यान में रखते हुए, निर्वाचन आयोग, एतद्वारा, यह निदेश देता है कि पश्चिम बंगाल के 14-बनगांव(अ.जा) संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के लोकसभा उप निर्वाचन तथा अरुणाचल प्रदेश के 27-लिरोमोबा(अ.ज.जा) विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र, गोवा के 11-पणजी विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र, तमिलनाडू के 139-श्रीरंगम विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र, पश्चिम बंगाल के 88-कृष्णागंज(अ.ज.) विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र, महाराष्ट्र के 91-मुखेड विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र तथा आन्ध्र प्रदेश के 167-तिरुपति विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के राज्य विधान सभाओं के उप-निर्वाचन, जो कि दिनांक 19.01.2015 को अधिसूचित किए गए हैं, सभी मतदाता जिन्हें निर्वाचक फोटो पहचान पत्र जारी किए गए हैं, मतदान स्थल पर मत डालने से पहले पहचान सुनिश्चित करने हेतु अपना निर्वाचक फोटो पहचान पत्र दिखाएंगे । ऐसे निर्वाचन जो अपना निर्वाचक फोटो पहचान पत्र प्रस्तुत नहीं कर पाते हैं, उन्हें अपनी पहचान स्थापित करने के लिए निम्नलिखित वैकल्पिक फोटो पहचान दस्तावेजों में से कोई एक प्रस्तुत करना होगा :-


- (i) पासपोर्ट,
- (ii) ड्राइविंग लाइसेन्स,
- (iii) राज्य/केन्द्र सरकार, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, पब्लिक लिमिटेड कम्पनियों द्वारा अपने कर्मचारियों को जारी किए जाने वाले फोटोयुक्त सेवा पहचान-पत्र,
- (iv) बैंको/डाकघरों द्वारा जारी किए गए फोटोयुक्त पासबुक,
- (v) पैन कार्ड,
- (vi) आधार कार्ड,
- (vii) आरजीआई एवं एनपीआर द्वारा जारी किए गए स्मार्ट कार्ड,
- (viii) मनरेगा जॉब कार्ड,
- (ix) श्रम मंत्रालय की योजना के अन्तर्गत जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड,
- (x) फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज,
- (xi) निर्वाचन तंत्र द्वारा जारी प्रमाणिक फोटो मतदाता पर्ची ।
- (xii) सांसदों, विधायकों/विधान परिषद् सदस्यों को जारी किए गए सरकारी पहचान पत्र ।

9. ईपीआईसी के संबंध में, लेखन अशुद्धि, वर्तनी की अशुद्धि इत्यादि को नजरअंदाज कर देना चाहिए बशर्ते मतदाता की पहचान ईपीआईसी से सुनिश्चित की जा सके । यदि कोई मतदाता फोटो पहचान पत्र प्रदर्शित करता है, जो कि किसी अन्य सभा निर्वाचन क्षेत्र के निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण ऑफिसर द्वारा जारी किया गया है, ऐसे ईपीआईसी भी पहचान स्थापित करने हेतु स्वीकृत किए जाएंगे बशर्ते निर्वाचक का नाम जहाँ वह

मतदान करने आया है उस मतदान स्थल से संबंधित निर्वाचक नामावली में उपलब्ध होना चाहिए । यदि फोटोग्राफ इत्यादि के बेमेल होने के कारण मतदाता की पहचान सुनिश्चित करना संभव न हो तब मतदाता को उपर्युक्त पैरा 8 में वर्णित किसी एक वैकल्पिक फोटो दस्तावेज को प्रस्तुत करना होगा ।

10. उक्त पैरा 8 में किसी बात के होते हुए भी, प्रवासी निर्वाचक जो अपने पासपोर्ट में विवरणों के आधार पर लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 20क के अधीन निर्वाचक नामावलियों में पंजीकृत हैं, उन्हें मतदान केन्द्र में उनके केवल मूल पासपोर्ट (तथा किसी अन्य पहचान दस्तावेज के आधार पर नहीं) के आधार पर ही पहचाना जाएगा ।

आदेश से,


(अनुज जयपुरियार)
सचिव

www.goaprintingpress.gov.in

Printed and Published by the Director, Printing & Stationery,
Government Printing Press,
Mahatma Gandhi Road, Panaji-Goa 403 001.

PRICE - Rs. 5.00

PRINTED AT THE GOVERNMENT PRINTING PRESS, PANAJI-GO A—352/360—2/2015.